(3)

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका

नामान्तरण अपील वाद संख्या–20/19–20

अजय राजा, पिता–विजय राजा, पता–कुम्हारपाड़ा दुमका, जिला– दुमका

वनाम

श्रीमती चन्द्रा राय, पति–स्व0 कृष्णा लाल राय, पता–सी0डी0 376 नारायण तल्ला बागुईहाटी(पूर्व0) कोलकाता।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
7.7.2021	**आदेश** प्रस्तुत नामान्तरण अपील वाद सं0–20/19–20 में अजय राजा वो विजय राजा के द्वारा अंचल अधिकारी दुमका के नामान्तरण वाद सं0–186/R, 27/2019–2020 में पारित आदेश दिनांक–23.09.2019 के विरूद्ध नामान्तरण अपील वाद दायर किया गया है। मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख में संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया साथ ही वर्णित जमाबंदी खेसरा एवं नामान्तरण वाद से संबंधित उपायुक्त दुमका के न्यायालय के रे0 मि0 रिविजन वाद सं0–04/2018–2019 में दिनांक–19.03.2021 में पारित आदेश को देखा। उपायुक्त न्यायालय द्वारा पारित आदेश से स्पष्ट है कि विवादित जमीन के संदर्भ में सिनियर सिविल जज प्रथम दुमका के न्यायालय में टाईटल सूट सं0–28/2017 ओम प्रकाश साह बनाम श्रीमती चन्द्रा राय तथा इस टाईटल सूट के विरूद्ध में कॉस टाईटल सूट सं0–03/2017 श्रीमती चन्द्रा राय वनाम ओम प्रकाश साह न्यायालय में लंबित है। दाखिल कागजात के अनुसार टाईटल संबंधित विवादों का निपटारा के लिये सिविल कोर्ट सक्षम न्यायालय है। सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–1214, 1330, 1331, 1741, 1923 एवं 1924/195 में पारित आदेश जो जे0 एल0 जे0 आर0–2013(1) पेज सं0–95 में प्रकाशित है के अनुसार "A Revenue Authority has no jurisdiction to decide the question of title-any such decision can only be taken by a Court of compelent civil jurisdicition cancellation of jamabandi by Revenue authority and setting at naught the right title and interest at their instance, is without jurisdiction"	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3

चूँकि प्रस्तुत वाद में उल्लेखित जमीन से संबंधित स्वत्व वाद सक्षम न्यायालय में लंबित है। सक्षम न्यायालय में मामला लंबित रहते हुए निम्न न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जाना नियम संगत प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिती में सक्षम न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित होने तक नामान्तरण अपील वाद सं0–20/19–20 को स्थगित रखा जाता है। लेखापित एवं संशोधित।

इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
दुमका।
7.7.2021

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
दुमका।
7.7.2021

Digitally signed by BINAY MANISH R LAKRA
Date: 2021.10.24 22:28:33 +05:30
Location: 192.168.225.52